

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3063(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “कचेरिया मोजीलाल गोर्धनदास सामान्य अस्पताल ट्रस्ट, सालियावाडी दरवाजे के समीप, बालासीनोर, जिला खेडा, गुजरात-388255” द्वारा “के.एम.जी सामान्य अस्पताल” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-2010 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 16 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 644 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-2015 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 882 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 1.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 1.55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 2.32 करोड़ रुपये कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 644 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 2.32 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि के रूप में एक अतिरिक्त राशि सहित 4.82 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 4.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 4.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.82 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 4.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 4.82 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.82 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क)

एतद्वारा “कचेरिया मोजीलाल गोर्धनदास सामान्य अस्पताल ट्रस्ट, सालियावाडी दरवाजे के समीप, बालासीनोर, जिला खेडा, गुजरात-388255” द्वारा चलाई जा रही “के.एम.जी सामान्य अस्पताल” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात्, 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 13.03.2009 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ0) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 16 के सामने स्तंभ (4) में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि के संबंध में ‘4.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 4.82 करोड़ रुपये’ से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर ‘2.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.82 करोड़ रुपये’ से संबंधित अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे

[सं. 253 /2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मन्मथन लाल मीना, उप-सचिव(राष्ट्रीय समिति)